दिनांक–28.05.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (2) श्री आनन्द शर्मा, निदेशक
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   (5) श्री आशुतोष कुमार, Project Lead

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

(क) पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य जून, 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। लेकिन समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक राज्य के 38 जिलों में कुल 255 पंचायतों में भूमि अप्राप्त है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु इस माह तक निश्चित रूप से भूमि चयन करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख) ग्राम पंचायतों के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन की प्रगति के संबंध में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अभी भी बिहार के 23 ग्राम पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर एक सप्ताह के अन्दर कार्य प्रारंभ करवाना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग) स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बिहार में कुल क्रमशः 192 एवं 199 ग्राम पंचायतों की भूमि समस्याग्रस्त है। जिनमें समस्तीपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, अररिया, दरभंगा, पूर्णियां, सारण, सिवान, पटना एवं बक्सर को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् प्रत्येक सप्ताह स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO) एवं भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संवेदकों के साथ बैठक कर भूमि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क). मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि सभी फेजों को मिलाकर जिला औरंगाबाद, पश्चिम चम्पारण, जमुई, मधेपुरा, नवादा, सहरसा, सारण, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी का Installation against Work Order का प्रतिशत काफी कम है। इन सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि Installation against Work Order में तेजी लाना सुनिश्चित करें। जिन–जिन जिलों में एजेंसी द्वारा एकरारनामा की शर्तो का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एकरारनामा के शर्तों के आलोक में कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा में सभी DDC एवं DPRO को यह निदेश दिया गया कि CMS पर प्रदर्शित लाईट ही एजेंसी की वास्तविक उपलब्धि एवं सेवा की गुणवत्ता मानी जाए।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ख). समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया है कि बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, नालन्दा, पटना, समस्तीपुर एवं सिवान जिलों में Signal Loss एवं Faulty सोलर स्ट्रीट लाईटों की संख्या अधिक है। इन सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक सप्ताह CMS Potal के माध्यम से समीक्षा कर एकरारनामा के अनुसार एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(ग). कुछ जिलों यथा भागलपुर, बक्सर, जमुई, लखीसराय, नालन्दा, पटना एवं रोहतास में अधिष्ठापन के विरूद्ध भुगतान कम पाया गया है। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि नियमानुसार जांच करते हुए ससमय विधिवत भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

(घ). समीक्षा के क्रम में पाया गया कि फेज–3 में कार्यादेश निर्गत हो जाने के उपरान्त भी सोलर स्ट्रीट लाईट का अधिष्ठापन कार्य नहीं किया जा रहा है। सभी जिलों के DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर अधिष्ठापन कार्य में तेजी लाया जाए ताकि कार्य ससमय पूर्ण हो सके।

(अनुपालनः–संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

III. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग/षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों द्वारा काफी कम की गयी है, जो चिन्ताजनक है, जिसमें शतप्रतिशत व्यय करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि BPRO प्रत्येक सप्ताह सभी पंचायतों के द्वारा व्यय की गयी राशि की पंचायत सचिवों के साथ समीक्षा करेंगें एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन संबंधित DPRO को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें। जिन पंचायतों में व्यय कम हो रहा है उस पंचायत का भ्रमण DPRO स्वयं कर आवश्यक कार्रवाई करेंगें। DPRO पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के साथ मासिक बैठक करेंगें एवं जिस पंचायत समिति में व्यय कम हो रहा है वहाँ स्वयं भ्रमण कर आवश्यक कार्रवाई करेंगें।

(अनुपालनः– संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

IV. जिलों में लंबित न्यायिक वादों की जिलावार का अद्यतन स्थिति :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला औरंगाबाद एवं नालन्दा में 03–03, भागलपुर, बक्सर एवं सिवान में 02-02 तथा बांका, भोजपुर, जमुई, पटना, पूर्णियां, सारण, वैशाली एवं पश्चिम चम्पारण में 01-01 MJC लंबित है। सभी CWJC/MJC मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

V. RTPS Application की जिलावार अद्यतन स्थितिः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिलों यथा सिवान, मधुबनी, बेगूसराय, सारण, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी एवं दरभंगा में लंबित आवेदनों की संख्या अधिक है, जो कि चिंताजनक है। इस सभी जिलों को निदेश दिया गया है कि आवेदनों के निष्पादन में त्वरित कार्रवाई की जाए। कतिपय जिलों में RTPS केन्द्रों की संख्या के सापेक्ष आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे, जिससे उनमें क्रियाशीलता के संबंध में संदेह उत्पन्न होता है। इसकी निरंतर Monitoring की जाए ताकि आम जनों को पंचायत सरकार भवन पर सुविधाएं प्राप्त हो सके।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VI. Summary of Gram Kachahari Having Registered Zero Case :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि बक्सर, अररिया, बेगूसराय, भागलपुर, रोहतास, सिवान एवं मधुबनी में Zero Case Registered ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। सचिव महोदय के द्वारा यह निदेश दिया गया कि इन सभी जिलों के नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने हेतु जागरूक किया जाए।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

VII. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

पूर्वी चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, गया, पश्चिम चम्पारण, सीतामढ़ी, पटना, सिवान, दरभंगा, सारण एवं वैशाली जिलों के लंबित राशि की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया है कि अपने जिले का लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की स्थिति देख लें तथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण–पत्रों का समायोजन कराने हेतु कार्रवाई करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

लगातार.....

VIII. पंचायत समिति संसाधन केन्द्र को (एक करोड़) दी गयी राशि के वापसी का प्रतिवेदन :–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चम्पारण, पटना, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, सारण, शिवहर एवं वैशाली जिलों में 01 करोड़ की राशि जमा नहीं करने वाले प्रखंडों की संख्या अधिक है, जिसपर चिन्ता व्यक्त की गयी है। इन सभी जिलों को निदेशित किया गया कि पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत उपलब्ध कराई गयी राशि यथाशीघ्र जमा करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः–सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/7183/पं०रा० **पटना, दिनांक 06/6/2025**
प्रतिलिपिः–बिहार के सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/7183/पं०रा० **पटना, दिनांक 06/6/2025**
प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव के आशुलिपिक/निदेशक के आशुलिपिक/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव

ज्ञापांकः–9प०/विविध–01–247/2023/7183/पं०रा० **पटना, दिनांक 06/6/2025**
प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(गोविन्द चौधरी)
उप सचिव